भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

******

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

प्रेस विज्ञप्ति

आयकर अधिनियम, 2025, 1 अप्रैल, 2026 से लागू

आयकर अधिनियम, 2025, भारत के प्रत्यक्ष कर ढांचे में एक ऐतिहासिक सुधार है, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेते हुए देश के आयकर कानून को सरल एवं आधुनिक बनाने का व्यापक प्रयास है। यह अंतर्निहित कर नीति में कोई परिवर्तन किए बिना सरल भाषा, सुव्यवस्थित संरचना एवं पाठक-अनुकूल प्रस्तुति के माध्यम से अधिक स्पष्टता एवं अनुपालन की सुगमता की दिशा में बदलाव का प्रतीक है।

यह विधेयक संसद द्वारा 12 अगस्त, 2025 को पारित किया गया तथा 21 अगस्त, 2025 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे यह आयकर अधिनियम, 2025 बना। (राजपत्र अधिसूचना - आयकर अधिनियम, 2025)

आयकर नियम, 2026 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 20 मार्च, 2026 अधिसूचित किए गए नए ताकि नए अधिनियम के प्रावधानां को कार्यान्वित किया जा सके (राजपत्र अधिसूचना - आयकर नियम, 2026)

तदनुरूप नए प्रपत्र भी अधिसूचित किए गए हैं। इन प्रपत्रों को सरल, मानकीकृत तथा अनुपालन को सुगम बनाने हेतु प्रक्रिया को पुनः अभियांत्रित किया गया है।

1 अप्रैल, 2026 से लागू होने के साथ, आयकर अधिनियम, 2025 भारत के कर प्रशासन में एक नए अध्याय की शुरूआत है और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(वी. राजीता)
आयकर आयुक्त
(मीडिया एवं तकनीकी नीति) एवं
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी